झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक–3/पी॰एम॰सी॰/कार्य/457/2021/ 22/21-22 प्र॰स्वी॰ राँची, दिनांक– 15.12.2021

प्रेषक:

प्रशांत कुमार
सचिव

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो॰–हिनू, राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय: लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन 13 अदद जमींदारी बांध/तालाब के जीर्णोद्धार कार्य हेतु लागत राशि रू0 रू0 672.979 लाख (रूपये छः करोड़ बहत्तर लाख सन्तान्वे हजार नौ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

2. जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन 13 अदद जमींदारी बांध/तालाब के जीर्णोद्धार कार्य हेतु लागत राशि रू0 **रू0 672.979 लाख (रूपये छः करोड़ बहत्तर लाख सन्तान्वे हजार नौ सौ)** मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. इन योजनाओं की कुल लागत राशि रू0 672.979 **लाख** है। उक्त योजनाओं के पूर्ण होने के उपरांत लगभग 469 हे॰ खरीफ एवं लगभग 145 हे॰ रब्बी लगभग कुल 614 हे॰ सिंचन क्षमता के पुनर्जीवित होने का अनुमान है। प्रस्ताव का औसत इंसीडेंस ऑफ कॉस्ट रू॰ 1,09,605/–प्रति हेक्टेयर आकलित है। योजनावार विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–I पर संलग्न है।

4. उक्त योजनाओं के प्राक्कलन पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है।

5. विचाराधीन योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नशर्त्तो के साथ प्रस्तावित है–

(i) पुनर्स्थापन कार्य के पूर्व, कार्य कराने के दौरान प्रत्येक पन्द्रह दिनो की अवधि पर एवं कार्य करने के बाद कार्य स्थल का स्टिल फ़ोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराया जाएगा।

(ii) नियमानुसार कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्री–लेवल माप पुस्त में अंकित किया जाएगा एवं इसकी शत प्रतिशत जाँच सहायक अभियंता के द्वारा एंव (50%) पचास प्रतिशत जाँच कार्यपालक अभियंता द्वारा की जाएगी।

(iii) सूची में उल्लेखित योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व जल की उपलब्धता, कमाण्ड क्षेत्र के आकलन की जाँच मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका द्वारा सक्षम प्राधिकार से कराना सुनिश्चित किया जाएगा। सिंचाई हेतु आउटलेट (गेट चालित/स्लूइस वाल्व) का निर्माण कमांड एरिया के लेवल के अनुसार होगा।

(iv) वैसी योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं कराया जायगा जिस योजना पर विगत पाँच वर्षो में किसी भी मद से पुनर्स्थापन / जीर्णोद्धार का कार्य कराया गया है।

(v) इन योजनाओं का निर्माण लोक निर्माण संहिता में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। योजना निर्माण प्रारम्भ करने के पूर्व लाभुक समिति का गठन किया जाएगा, जिनपर योजना के रख–रखाव का दायित्व होगा। **जिस कार्यस्थल पर योजना के संचालन एवं रख रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति लाभुक समिति से प्राप्त नहीं होगा, उस स्थल पर योजना निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जायेगा।**

(vi) उपरोक्त कंडिका '5' (i), (ii), (iii), (iv) & (v) के सम्पुष्टि के उपरांत ही योजना का कार्यान्वयन् प्रारंभ किया जाएगा।

6. ऐसी योजनाओं का चयन किया गया है जिनका विगत पांच वर्षो अथवा उससे अधिक अवधि से पुर्नस्थापन नहीं होने के कारण सिंचाई क्षमता में काफी ह्रास हुआ है।

7. वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्वीकृत बजट उपबंध निम्नवत् हैः–

(I) बजट शीर्ष ''मुख्य शीर्ष–4702 –लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–लघु शीर्ष–101–सतही जल–उप शीर्ष–20–पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण'' (50-S-4702-00-101-20-00-05-45) अंतर्गत रू0 3000.00 लाख का प्रावधान है।

(II) बजट शीर्ष ''मुख्य शीर्ष–4702 –लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–20–पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण'' (50-S-4702-00-796-20-00-05-45) अंतर्गत रू0 2835.00 लाख का प्रावधान है।

8. इस कार्य पर होने वाला व्यय निम्न बजट शीर्ष से भारित किया जा सकेगा :–

(I) बजट शीर्ष ''मुख्य शीर्ष–4702 –लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–लघु शीर्ष–101–सतही जल–उप शीर्ष–20–पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण'' (50-S-4702-00-101-20-00-05-45) अंतर्गत भारित होने वाले व्यय की राशि रू0 270.936 लाख है।

(II) बजट शीर्ष ''मुख्य शीर्ष–4702 –लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–20–पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण'' (50-S-4702-00-796-20-00-05-45) अंतर्गत भारित होने वाले व्यय की राशि रू0 402.043 लाख है।

9. इन योजनाओं को वर्ष 2021–22 एंव 2022–23 में पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

10. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला / सिमडेगा / लातेहार / गोडड़ा / गिरिडीह तथा नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका होंगे। संबंधित कार्यपालक अभियंता की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि योजना का पुर्नस्थापन का कार्य उत्तम गुणवत्ता का हो।

11. कार्य के निविदा निस्तारण के क्रम में विभागीय पत्रांक–3112, दिनांक–14.06.2019 की कंडिका–6.11 में निर्धारित समय सीमा का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. इस कार्य के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं तथा मानकों का सम्यक रूप से अनुपालन करते हुए योजनाओं का प्रबोधन किया जाएगा।

13. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य वित्त विभागीय परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जाएगी।

14. झारखंड कोषागर संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

15. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

16. प्रस्ताव पर विभागीय (मुख्य) मंत्री, का अनुमोदन प्राप्त है।

17. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनु0:– परिशिष्ट–I

15/12/21

(प्रशान्त कुमार)
सचिव

पत्रांक–3 / पी.एम.सी. / कार्य / 457 / 2021 / 22/21-22 प्र.स्वी. राँची, दिनांक– 15.12.2021

प्रतिलिपिः योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड सरकार / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु0:– परिशिष्ट–I

15.12.21

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभियत्रण)

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य / 457 / 2021 / 22/21-22 प्र॰स्वी॰ राँची, दिनांक– 15.12.2021

प्रतिलिपिः कोषागार, पदाधिकारी, गुमला / सिमडेगा / लातेहार / गोडड्डा / गिरिडीह, झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु0:– परिशिष्ट–I

15.12.21

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य / 457 / 2021 / 22/21-22 प्र॰स्वी॰ राँची, दिनांक– 15.12.2021

प्रतिलिपिः सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची / मुख्य अभिंयता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका / उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग / अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3 / अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, रॉची / मेदिनीनगर / देवघर / दुमका / कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला / सिमडेगा / लातेहार / गोडड्डा / गिरिडीह / प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

अनु0:– परिशिष्ट–I

15.12.21

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य / 457 / 2021 / 22/21-22 प्र॰स्वी॰ राँची, दिनांक– 15.12.2021

प्रतिलिपिः आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची / कोल्हान प्रमंडल चाईबासा / पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर / संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0:– परिशिष्ट–I

15.12.21

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य / 457 / 2021 / 22/21-22 प्र॰स्वी॰ राँची, दिनांक– 15.12.2021

प्रतिलिपिः माननीय (मुख्य) मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु0:– परिशिष्ट–I

15.12.21

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य / 457 / 2021 / 22/21-22 प्र॰स्वी॰ राँची, दिनांक– 15.12.2021

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु / ई0 सुरेश प्रसाद भगत, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2, जल संसाधन विभाग, रॉची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु प्रेषित।

अनु0:– परिशिष्ट–I

15.12.21

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन जमींदारी बांध के जीर्णोद्धार कार्य की सूची :–

क्र०	योजना का नाम	जिला	प्रखंड	प्राक्कलित राशि (लाख रू० में)	वर्त्तमान सिंचन क्षमता			पुर्नजीवित सिंचन क्षमता			Incidence of Cost	अभि०
					खरीफ	रब्बी	कुल	खरीफ	रब्बी	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	लेहा जमींदारी बांध का जीर्णोद्धार	गुमला	घाघरा	52.069	5	0	5	15	13	28	185960.714	
2	नवाडीह जमींदारी बांध का जीर्णोद्धार	गुमला	गुमला	85.869	20	0	20	45	20	65	132106.154	
3	नवडीहा जमींदारी बांध का जीर्णोद्धार	गुमला	घाघरा	32.120	5	0	5	15	10	25	128480.000	
4	खरका जमींदारी बांध का जीर्णोद्धार	गुमला	गुमला	30.575	5	0	5	30	13	43	71104.651	
5	असनी (सनी बांध) जमींदारी बांध का जीर्णोद्धार	गुमला	गुमला	81.179	10	0	10	40	15	55	147598.182	
6	ब्रिन्दा जमींदारी बांध का जीर्णोद्धार	गुमला	गुमला	36.113	5	0	5	45	13	58	62263.793	
				317.925	50	0	50	190	84	274		
7	हुरदा तालाब जमींदारी बांध का जीर्णोद्धार	सिमडेगा	बानो	33.640	2	0	2	13	5	18	186888.889	
				33.640	2	0	2	13	5	18		
8	गोडियारी जमींदारी बांध का जीर्णोद्धार	लातेहार	बरवाडीह	41.430	5	0	5	45	10	55	75327.273	
9	पालापानी जमींदारी बांध का जीर्णोद्धार	लातेहार	बरवाडीह	42.067	5	0	5	15	5	20	210335.000	
				83.497	10	0	10	60	15	75		
10	कमलडीहा (सिमानी) सरकारी बांध का जीर्णोद्धार	गोडड्डा	पत्थरगामा	44.652	5	0	5	36	3	39	114492.308	
11	केन्दुवा सरकारी तालाब का जीर्णोद्धार	गोडड्डा	पत्थरगामा	50.061	5	0	5	55	10	65	77016.923	
12	भलसुंधिया सरकारी तालाब का जीर्णोद्धार	गोडड्डा	पत्थरगामा	59.311	5	0	5	65	10	75	79081.333	
				154.024	15	0	15	156	23	179		
13	वरदेही आहर जमींदारी बांध का जीर्णोद्धार	गिरिडीह	पीरटांड	83.893	10	0	10	50	18	68	123372.059	
				83.893	10	0	10	50	18	68		
				672.979	***87***	***0***	***87***	***469***	***145***	***614***		